न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

| मुकदमा नंबर | किस्म मुकदमा | दर्ज दिनांक |
|---|---|---|
| 05/23 | एफएसएस एक्ट, 2006 | 16/06/2022 |

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्री तेज प्रकाश शर्मा (विक्रेता) मैसर्स पार्थ रिसोर्ट एण्ड रेस्टोरेन्ट बाई पास तिराहा के पास जयपुर रोड गंगापुर सिटी निवासी संजय कॉलोनी ,गंगापुर सिटी।
2. श्री शिवरतन गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता (प्रोपराईटर) मैसर्स पार्थ रिसोर्ट एण्ड रेस्टोरेन्ट बाई पास तिराहा के पास जयपुर रोड गंगापुर सिटी निवासी लक्ष्मीनारायण लेदिया वालो का मकान जयपुर रोड गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 04.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक शुद्ध के लिये सुद्ध अभियान के तहत दिनांक 09.03.2023 को दोपहर 05:30 पी.एम. पर बाई पास तिराहा जयपुर रोड ,गंगापुर सिटी स्थित पार्थ रिसोर्ट पर पहुंचे मौके पर श्री मनोज कुमार पुत्र तेज प्रकाश शर्मा उपस्थित मिले जिन्होनें स्वयं को फर्म का मैनेजर होना बताया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को परोसे जाने वाली सब्जीयों में काम में आने वाला पनीर लगभग 3 किलोग्राम रखा था। पनीर में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जांच 1 किलोग्राम पनीर खरीदकर उनकी कीमत 300/– रू0 विक्रेता श्री मनोज कुमार को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

आवेदक ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर को एक बडी कांच की प्लेट में लेकर एकरूप कर चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर फॉरमलिन की 20– 20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयर टाईट बन्द कर एव लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2671 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लेपटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर सिलप नं0 एच–2671 नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में मोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागें से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर सिलप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री मनोज कुमार ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिसरो नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की । दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की । शेष दो सील नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/448–50 दिनांक 06.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/628/एक्ट/2023 /724 दिनांक 16.03.2023 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण मे खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/628/एक्ट/2023 /724 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक खाद्य वस्तु पनीर का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण सं0 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त प्रकरण गलत तथ्यों के अधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी पार्थ रिसोर्ट पर कोई कार्य नहीं करता है। प्रार्थी छोटी-मोटी कोल्ड ड्रीक व पानी की बौतलों की सप्लाई का कार्य करता है। दिनांक 09.03.2023 को प्रार्थी सप्लाई हेतु पार्थ रिसोर्ट पर गया था वहां आवेदक व पार्थ रिसोर्ट के कार्मिकों दोनो के मध्य पैसे को लेकर बहस चल रही थी। उनके स्टाफ कह रहे थे कि आपने खाना खाया हैं। उसका भुगतान करे, लेकिन आवेदक अपने आप को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताते हुए भुगतान नहीं करने हेतु बोल रहा था। अभियुक्त सं0 1 द्वारा आवेदक से इतना निवेदन किया कि आपने खाना खाया है तो पेमेन्ट देने में क्या समस्या है। इतना कहने पर आवेदक अभियुक्त से भीड गया और अभियुक्त की गाडी के पास जाकर पानी की बोतले निकाल कर बौला कि यह बोतल नकली है और सादे कागजों में अभियुक्त सं0 1 के हस्ताक्षर करवा लिये गये और बोला कि खाने का भुगतान तु करना ,साथ ही अभियुक्त सं0 1 ने उक्त कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया।

अभियुक्त सं0 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि मनोज कुमार जिसे आवेदक द्वारा मैनेजर बताया गया है। उसकी ना तो कोई आईडी की प्रति ना मैनेजर के एग्रीमेन्ट की कोई प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि मनोज नाम का कोई व्यक्ति पार्थ रिसोर्ट पर कार्य नहीं करता है। आवेदक द्वारा उक्त रिसोर्ट से पनीर का नमूना लेना अंकित किया है तथा उसका सादा बिल संलग्न किया है। जबकि पार्थ रिसोर्ट के समस्त बिल कम्पयूटराईज प्रिन्ट ही ग्राहकों को प्रदान किये जाते है। सादा बिल जिस पर भी रेस्टोरेन्ट का नाम अंकित नहीं है। उक्त बिल पर फर्म की मोहर भी अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया है, साथ ही अभियुक्त सं0 2 ने उक्त कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा अपने जबाब/बहस मे कहे गये कथन के संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे अभियुक्तगण द्वारा कहे गये कथन सिद्व हो सके, साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/628/एक्ट/2023 /724 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने खाद्य वस्तु पनीर का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि मे आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से 10000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रवि वर्मा )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला-